औकारसिंह बनाम रामरख आदि
प्रकरण सं. 233/2025 अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
04.12. 2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खुद की खरीदशुद्धा भूमि है वाद भूमि प्रतिवादी सं. 1 की आवंटन शुदा भूमि है। जो किसी भी प्रकार से पैतृक सम्पति नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विधि द्वारा स्थापित नियमो एवं सिद्धान्तो के विपरित होने के कारण भी किसी भी सुरत मे चलने योग्य नही है। अतः वाद वादी खारिज किया जावे। दूसरी तरफ वकील अप्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 की सवअर्जित सम्पति नहीं है। वाद भूमि पैतृक है या सवअर्जित यह साक्ष्य से साबित होना है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। वकुलाए फरिकैन की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 की आवंटन शुदा भूमि है तथा वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज वादपत्र में प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उक्त भूमि पैतृक साबित होती हो। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वाद वादी मौजुदा स्थिति में खारिज किया जाता है। खर्चा फरिकैन अपना अपना वहन करेंगें। आदेश आज दिनांक 04.12.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.12.30 18:25:23 IST
Reason: SelfAttested